

कार्यालय कलेक्टर
(आदिवासी विकास) जिला – बिलासपुर छ0ग0

दूरभाष नं0 07752-225545 फैक्स नं0 07752-225545 E-mail-Id actd.bilaspur@nic.in

क्रमांक / प्रयास / 2020-21 / 2159

बिलासपुर दिनांक 18 / 11 / 2020

प्रयास आवासीय विद्यालय बिलासपुर में अध्यापन/कोचिंग प्रदाय हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से "रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण वर्ष 2020-21

—: विज्ञप्ति :-

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना (यथा संशोधित वर्ष 2017) अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय (बालक एवं बालिका) बिलासपुर हेतु हाईस्कूल उत्तीर्ण जीव विज्ञान संकाय की शालेय शिक्षा प्रदान करने के साथ – साथ अखिल भारतीय तथा राज्य स्तर की इंजीनियरिंग तथा मेडिकल की परीक्षा यथा जेईई (मेंस/एडवांस), एम्स, नीट, पीईटी तथा पीएमटी हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराये जाने हेतु 125 विद्यार्थियों (परिवर्तनीय) के लिये पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से ऑन लाईन निविदा/प्रस्ताव आमंत्रित की जाती है:-

- | | |
|---|--|
| 1. निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित करने की अंतिम तिथि | - 09 / 12 / 2020, अपरान्ह 5.00 बजे |
| 2. निर्धारित समय तक ऑनलाईन प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना | - 10 / 12 / 2020, अपरान्ह 3.00 बजे |
| 3. पात्र पाई गई संस्थाओं का समिति के समक्ष तकनीकी मूल्यांकन | - 14 / 12 / 2020, अपरान्ह 3.00 बजे |
| 4. शिक्षकों के मूल्यांकन हेतु प्रेजेन्टेशन | - 16 एवं 17 / 12 / 2020 प्रातः 11 बजे से |

अन्य कार्यवाही की सूचना पृथक से दी जायेगी। विस्तृत जानकारी तथा नियमावली हेतु विभागीय वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in अथवा www.bilaspur.gov.in वेबसाईट पर अवलोकन तथा प्रोक्थोरमेंट वेब पोर्टल <https://eproc.cgstate.gov.in> के निविदा क्रमांक 69244 से वांछित जानकारी/प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

—सही—
कलेक्टर
जिला – बिलासपुर

कार्यालय कलेक्टर
(आदिवासी विकास) जिला - बिलासपुर छ0ग0

दूरभाष नं0 07752-225545 फैक्स नं0 07752-225545 E-mail-Id actd.bilaspur@nic.in

क्रमांक / प्रयास / 2020-21 /

बिलासपुर दिनांक / 11 / 2020

विषय :- प्रयास आवासीय विद्यालय बिलासपुर में अध्यापन तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग कार्य हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के लिये पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से "रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण वर्ष 2020-21

- योजना का उद्देश्य :-** आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना (यथा संशोधित वर्ष 2017) अंतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालय हेतु हाईस्कूल उत्तीर्ण चयनित विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के शैक्षणिक सत्र में कक्षा 11वीं एवं 12वीं के गणित, जीव विज्ञान संकाय की शालेय शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ अखिल भारतीय स्तर तथा राज्य स्तर की इंजीनियरिंग तथा मेडिकल की प्रवेश परीक्षा यथा जेईई (मेंस/एडवांस), एम्स, नीट, पीईटी तथा पीएमटी हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराये जाने की योजना है। ताकि प्रयास संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को राष्ट्र एवं राज्य के उत्कृष्ट संस्थाओं के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त हो सकें।
- योजना संचालन का मोड :-** इसके अंतर्गत विद्यालय से संबंधित शैक्षणिक एवं आवासीय अधोसंरचना एवं सुविधा विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है एवं शैक्षणिक स्टाफ एवं स्टडी मटेरियल, मूल्यांकन आदि हेतु टेस्ट की व्यवस्था प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु आवेदन संबंधी जानकारी एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के फार्म भरने हेतु विद्यार्थियों को मार्गदर्शन निजी कोचिंग संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

विद्यालय का नाम जिसके लिए प्रस्ताव आमंत्रित है :-

क्र.	प्रयास विद्यालय का नाम	विद्यार्थियों की संख्या (परिवर्तनीय)	प्रस्ताव जहां जमा करना है उस कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1	प्रयास आवासीय विद्यालय जिला - बिलासपुर (गणित एवं जीव विज्ञान समूह)	125	प्रस्ताव ऑनलाईन जमा किया जाना है।

- निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित करने की अंतिम तिथि - 09/12/2020, अपराह्न 5.00 बजे
- निर्धारित समय तक ऑनलाईन प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना - 10/12/2020, अपराह्न 3.00 बजे
- पात्र पाई गई संस्थाओं का समिति के समक्ष तकनीकी मूल्यांकन - 14/12/2020, अपराह्न 3.00 बजे
- शिक्षकों के मूल्यांकन हेतु प्रेजेन्टेशन - 16 एवं 17/12/2020 प्रातः 11 बजे से

अन्य कार्यवाही की सूचना पृथक से दी जायेगी। विस्तृत जानकारी तथा नियमावली हेतु विभागीय वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in अथवा www.bilaspur.gov.in वेबसाईट पर अवलोकन तथा प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल <https://eproc.cgstate.gov.in> के निविदा क्रमांक 69244 से वांछित जानकारी/प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

1. अनुबंध अवधि :- 2 वर्ष । वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 तक ।
2. कक्षा का आकार :- अधिकतम 45 विद्यार्थियों पर एक सेक्शन होगा ।
3. संकाय :- गणित संकाय, जीव विज्ञान संकाय ।
4. अध्यापन की अवधि :- 10+2 बोर्ड परीक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम का अध्यापन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग तथा डाउट क्लास को मिलाकर प्रतिदिन न्यूनतम 8 घण्टे का अध्यापन कराना होगा । इसके अतिरिक्त रेमिडियल टीचिंग/कोचिंग भी संस्था द्वारा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जायेगी ।
5. शिक्षण तथा कोचिंग हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले शिक्षकों की अनिवार्य योग्यताएं :-
योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों द्वारा उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त करना है अतः उपलब्ध कराये जाने वाले शिक्षकों (Teaching/ coaching faculty) की शैक्षणिक पृष्ठ भूमि उच्च स्तर की होनी चाहिए तथा प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग का अनुभव होना चाहिये ।

क्र.	विषय	शिक्षकों की न्यूनतम संख्या	अनिवार्य योग्यता
1.	गणित	02	1. प्रथम शिक्षक - भारत सरकार द्वारा स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) से न्यूनतम बी.टेक उपाधि एवं प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव अनिवार्य रूप से होना चाहिए अथवा एन. आई.टी. से न्यूनतम बी.टेक एवं 03 वर्ष कोचिंग का अनुभव होना चाहिये । 2. द्वितीय शिक्षक - संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा 10+2 विद्यालय में कम से कम 03 वर्ष अध्यापन/कोचिंग का अनुभव होना चाहिए । UGC-NET/JRF/GATE उत्तीर्ण/क्वालीफाई अभ्यर्थियों को अनुभव में शिथिलता दी जा सकेगी ।
2.	रसायन शास्त्र	02	
3.	भौतिक शास्त्र	02	
4.	जीव विज्ञान	01	1. प्रथम शिक्षक - शासकीय मेडिकल कॉलेज से न्यूनतम एमबीबीएस उपाधि एवं प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव अनिवार्य रूप से होना चाहिए । अथवा शासकीय मेडिकल कॉलेज से बी. डी.एस. उपाधि एवं कोचिंग का 04 वर्ष का अनुभव होना चाहिये । 2. द्वितीय शिक्षक- संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा 10+2 विद्यालय में कम से कम 03 वर्ष अध्यापन/कोचिंग का अनुभव होना चाहिए । UGC-NET/JRF/GATE उत्तीर्ण/क्वालीफाई अभ्यर्थियों को अनुभव में शिथिलता दी जा सकेगी ।
5.	वनस्पति विज्ञान	01	
6.	हिन्दी	01	संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा 10+2 विद्यालय में कम से कम 03 वर्ष अध्यापन/कोचिंग का अनुभव होना चाहिए । UGC- NET/JRF/GATE उत्तीर्ण/क्वालीफाई अभ्यर्थियों को अनुभव में शिथिलता दी जा सकेगी ।
7.	अंग्रेजी	01	संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा 10+2 विद्यालय में कम से कम 03 वर्ष अध्यापन/कोचिंग का अनुभव होना चाहिए । UGC- NET/JRF/GATE उत्तीर्ण/क्वालीफाई अभ्यर्थियों को अनुभव में शिथिलता दी जा सकेगी ।
10.	मनोविज्ञानिक / कैरियर काउंसलर	01	भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित क्षेत्र में स्नातक उपाधि । किसी संस्था / फर्म में कम से कम 02 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए ।

अपरिहार्य कारणों से उपरोक्तानुसार शिक्षकों की अनिवार्य योग्यता में आंशिक संशोधन करने के संबंध में चयन समिति सक्षम होगी ।

6. रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत आवेदन करने का तरीका :-

- i. इच्छुक कोचिंग संस्थाएँ आवेदन का प्रारूप न्यूनतम पात्रता शर्तें सुरक्षा निधि की राशि तथा अन्य जानकारी जिले के वेबसाईट www.bilaspur.gov.in से प्राप्त कर (Download) कर सकते हैं। आवेदन पत्र के शुल्क हेतु राशि रुपये 5000/- (शब्दों में पांच हजार मात्र) ऑनलाईन जमा करना होगा।
- ii. इच्छुक कोचिंग संस्थाएँ तीन बंद लिफाफा पद्धति में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती हैं। इच्छुक फर्म एक से अधिक संस्थाओं एवं संकायों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें प्रत्येक संस्था के लिए अलग-अलग अमानत राशि ऑनलाईन जमा करना होगा।
- iii. एक से अधिक प्रयास आवासीय विद्यालय के लिये आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक संस्था के लिये उल्लेखित योग्यता के शिक्षकों का पृथक - पृथक Panel प्रस्तुत करना होगा। शिक्षक/फैकल्टी मेम्बर को अध्यापन कार्य के लिये उपलब्ध कराने का दायित्व चयनित संस्था का होगा।
- iv. आवेदन पत्र का भाग-एक, प्रथम लिफाफा (न्यूनतम अर्हता संबंधी) है। अन्य जानकारी के साथ निर्धारित प्रतिभूति राशि रु. 500000/- ऑनलाईन जमा करना होगा। लिफाफा क्रमांक - 01।
C A/c NO 32419359219 IFSC Code: SBIN0004571
- v. आवेदन पत्र का भाग-दो (तकनीकी प्रस्ताव का लिफाफा) इसके अंतर्गत सलंगन प्रपत्र अनुसार प्रपत्र दो - 1 से प्रपत्र दो - 5 तक की जानकारी पृथक से लिफाफा क्रमांक - 02 में जमा करना होगा।
- vi. आवेदन पत्र का भाग-तीन (वित्तीय प्रस्ताव) इसके अंतर्गत तीसरे लिफाफे में वित्तीय प्रस्ताव (दर) को रखना होगा।
- vii. सर्वप्रथम सभी प्राप्त आवेदन पत्र का लिफाफा क्रमांक-01 अनिवार्य योग्यता संबंधी लिफाफा खोला जाएगा। इसके परीक्षण उपरांत पात्रता रखने वाले संस्थाओं का ही द्वितीय लिफाफा खोला जाएगा। द्वितीय लिफाफा (तकनीकी संबंधी योग्यता) में चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार चयन समिति द्वारा पात्र पाये जाने वाले संस्थाओं का ही तृतीय लिफाफा (वित्तीय प्रस्ताव) खोला जाएगा। वित्तीय लिफाफा खोलने हेतु पृथक से सूचना दी जावेगी। चयन समिति द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन पश्चात् अंतिम रूप से सफल फर्म/कोचिंग संस्था को पृथक से सूचित किया जाएगा।
- viii. आवेदन खोलते समय आवेदक स्वयं अथवा उनके एक अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे।

7. प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन का तरीका :- प्राप्त प्रस्तावों का गुणवत्ता सहमूल्य आधारित प्रक्रिया (Quality Cum Cost Based System) के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा। इसके दो भाग होंगे :-

पहला भाग (A) तकनीकी मूल्यांकन (B) वित्तीय मूल्यांकन

7.1 तकनीकी मूल्यांकन :- न्यूनतम योग्यता पूर्ण करने वाले फर्म/संस्था का ही तकनीकी प्रस्ताव (लिफाफा) खोला जायेगा। तकनीकी मूल्यांकन अधिकतम 100 अंक का होगा।

(i) पहला भाग :- संस्था/फर्म के अनुभव एवं कार्य की उपलब्धियों पर 60 अंक निर्धारित है जिसका मूल्यांकन निम्नलिखित मानकों के आधार पर किया जायेगा -

क्र.	विवरण	निर्धारित अंक
1	संस्था की स्वयं की अधोसंरचना हो तथा संस्था को संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो	10
2	संस्था द्वारा विगत 3 वर्षों में दी गई कोचिंग से आई.आई.टी., एन.आई.टी., नीट, एम्स, पी.ई.टी. तथा पी.एम.टी. इत्यादि प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त विद्यार्थियों का विवरण	20
3	शिक्षक/फैकल्टी सदस्यों का सम्पूर्ण विवरण	10
4	अद्यतन अध्ययन सामग्री (Hard/Soft copy)	10
5	योजना क्रियान्वयन की विस्तृत रणनीति	10

(ii) दूसरा :- शिक्षकों का मूल्यांकन हेतु प्रेजेन्टेशन :- शिक्षकों के प्रस्तुतीकरण पर अधिकतम 40 अंक अंको मे से मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन कर अंक दिया जायेगा। शिक्षकों का मूल्यांकन निम्नलिखित मानकों के आधार पर किया जायेगा -

क्र.	विवरण	निर्धारित
1	शैक्षणिक योग्यता तथा विषय ज्ञान एवं विषय की समझ	20
2	शिक्षण कौशल	10
3	विद्यार्थियों/विषय विशेषज्ञों द्वारा पूछे गये प्रश्नों/समस्या समाधान के तरीके	05
4	विद्यार्थियों/मूल्यांकन समिति से संवाद एवं समन्वय	05

कुल तकनीकी मूल्यांकन (ET) = (i) पहला भाग + (ii) दूसरा भाग = 100 अंक

(iii) तकनीकी मूल्यांकन द्वारा प्रस्तावों का लघुकृतीकरण - तकनीकी मूल्यांकन के 100 अंक में से न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक अर्जित करने वाले संस्थाओं का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा। उपरोक्तानुसार अर्ह संस्थाओं की संख्या 04 से कम होने पर न्यूनतम 70 प्रतिशत की अनिवार्यता नहीं होगी।

7.2 वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन :- वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन निम्नलिखित सूत्र पर आधारित होगा :-
 $EF = 100 \times FM/F$

यहां पर EF का अर्थ होगा वित्तीय अंक, FM का अर्थ न्यूनतम मूल्य तथा F का अर्थ विचाराधीन प्रस्ताव में दर्शाये गये मूल्य से है।

7.3 प्रस्ताव का अंतिम श्रेणीकरण:- प्रस्ताव का अंतिम श्रेणीकरण तकनीकी अंक (ET) का 70 प्रतिशत अधिभार तथा वित्तीय अंक (EF) का 30 प्रतिशत अधिभार देते हुए दोनो का योग कर अंको के घटते क्रम के अनुसार कोचिंग संस्थाओं की सूची तैयार की जायेगी अर्थात् अंतिम श्रेणीकरण किया जायेगा। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली संस्था को प्रथम स्थान पर चयन हेतु अनुशंसित किया जायेगा।

तकनीकी निविदा हेतु अन्य मानक तय करने/अधिभार में परिवर्तन करने के लिए आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास सक्षम प्राधिकृत अधिकारी होंगे।

कार्यादेश प्राप्त कोचिंग संस्था के दायित्व :-

- i. निर्धारित योग्यता के ही शिक्षक/फैकल्टी उपलब्ध कराना होगा अन्यथा प्रस्ताव अमान्य किया जा सकता है।
- ii. विद्यार्थियों एवं प्रशासकीय अधिकारी के फीड बैक में यदि विषय शिक्षक का अध्यापन, शिक्षक का कार्य व्यवहार संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो नियमानुसार कलेक्टर जिला बिलासपुर के अनुमति से उसी योग्यता का शिक्षक एक सप्ताह में परिवर्तन करना होगा।
- iii. जिन शिक्षकों/फैकल्टी मेंबर द्वारा शिक्षक डेमों दिया जायेगा, संस्था चयन होने पर उन्हीं शिक्षकों/फैकल्टी को अध्यापन एवं कोचिंग हेतु रखना अनिवार्य होगा। बिना औचित्यपूर्ण एवं अपरिहार्य कारण के यदि ऐसा किया जाता है तो अनुबंध निरस्त करने अथवा राशि में कटौती करने पर निर्णय लिया जा सकेगा।
- iv. अध्यापन की न्यूनतम अवधि 8 घंटे होगी। इसके अंतर्गत बोर्ड परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं प्रतियोगी परीक्षा के पैटर्न अनुरूप अध्यापन कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन 2 घण्टे का डाउट क्लीयरिंग क्लास भी आयोजित करना होगा।
- v. विद्यार्थीवार प्रगति का विश्लेषण कर कार्ययोजना बनानी होगी एवं विद्यार्थीवार प्रगति का विवरण रखना अनिवार्य होगा।
- vi. विद्यालय के लिए नियुक्त/शिक्षक/ फैकल्टी किसी अन्य कोचिंग/निजी कोचिंग से संलग्न नहीं किये जाएंगे। शिक्षक विद्यालय के लिए पूर्ण समर्पण भाव से कार्य करेंगे।
- vii. कोचिंग संस्था को साप्ताहिक टेस्ट, मासिक टेस्ट, त्रैमासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक टेस्ट तथा वार्षिक बोर्ड के बाद अंतिम परीक्षा तक कोचिंग प्रदान करना होगा।
- viii. कोचिंग संस्था को विद्यार्थियों के लिए स्टडी मटेरियल मूल्यांकन हेतु टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट/प्रेक्टिस पेपर एवं ऑन-लाइन प्रीटिंग एवं अवलोकन/मॉक टेस्ट लिया जा कर मूल्यांकन सुविधा उपलब्ध कराना होगा।
- ix. विद्यालय की गरिमा के अनुरूप शिक्षण तथ कोचिंग कार्य में संस्था द्वारा नियोजित शिक्षकों द्वारा अनुशासन, आचरण एवं व्यवहार रखना होगा।
- x. विषय शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को प्राप्त कानूनी अधिकार एवं हित का उल्लंघन किये जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में विषय शिक्षक उपलब्ध कराने के पूर्व शिक्षक के संबंध में संपूर्ण जांच करने की जिम्मेदारी तथा इन्हें तथ्यों से पूर्णतः अवगत कराने का दायित्व संबंधित कोचिंग संस्था का होगा।
- xi. कोचिंग संस्था द्वारा अध्यापन कराये जा रहे विद्यार्थियों का विभाग द्वारा बाह्य मूल्यांकन किया जाएगा जिससे कोचिंग संस्था द्वारा की जा रही कोचिंग/अध्यापन की दक्षता का मूल्यांकन हो सके। इसके आधार पर किशतों के भुगतान करने का निर्णय प्रशासकीय अधिकारी/सहायक आयुक्त द्वारा लिया जा सकेगा।
- xii. कोचिंग संस्था को प्रशासकीय अधिकारी/प्राचार्य के साथ मिलकर टाइम टेबल एवं कार्ययोजना बनाया जाकर पालन किया जाना होगा।

- xiii. कोचिंग संस्था को फ़ैकल्टी के लिए विद्यालय के बाहर यथा संभव समीप में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना होगा।
- xiv. नीट, जेईई (मेन/एडवांस) की कोचिंग के लिए प्रत्येक विषय में चैप्टर वाईस (कक्षा 11वीं एवं 12वीं) के विगत 30 वर्षों के प्रश्न-पत्रों से प्रश्न निकालकर उसके आधार पर अंतिम परीक्षा पूर्व न्यूनतम 10 मॉक टेस्ट लेना अनिवार्य होगा। मॉक टेस्ट का मूल्यांकन कर विद्यार्थियों की कमियों को दूर किया जायेगा। इस संबंध में विभागीय अधिकारी आवश्यक सुझाव भी दे सकेंगे।
- xv. कोचिंग संस्थाओं को आवश्यकतानुसार कोविड -19 से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए विद्यार्थियों को ऑनलाईन अध्यापन एवं कोचिंग देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
- xvi. प्रस्ताव में प्रस्तुत/सलंगन समस्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों की सत्यता का दायित्व संबंधित कोचिंग संस्था का होगा। इस हेतु ओरिजिनल नोटराईज्ड शपथ पत्र संस्था द्वारा प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9. राशि का भुगतान :-

चयनित/अनुबंधित कोचिंग संस्था को स्वीकृत निविदा राशि की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रवेशित सीट संख्या (अधिकतम 125) के आधार पर अनुबंध अनुसार विभिन्न किस्तों में किया जाएगा। किस्तों का भुगतान संस्था के प्रशासकीय अधिकारी, संबंधित जिले के सहायक आयुक्त की अनुसंशा के आधार पर कलेक्टर जिला - बिलासपुर के अनुमोदन पश्चात् किया जाएगा। जबकि शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर के अनुमोदन पश्चात् किया जाएगा।


विभाग द्वारा अनुमोदित प्रति विद्यार्थी अध्यापन सह कोचिंग दर के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के शुल्क (सर्विस चार्ज जी.एस.टी.) इत्यादि का भुगतान पृथक से नहीं किया जाएगा। फर्म को नियमानुसार आयकर कटौती उपरांत किस्त की राशि देय होगी। 20 प्रतिशत राशि का भुगतान निम्नांकित मानदंड के आधार पर किया जाएगा।

- कक्षा 12वीं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने तथा प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों में से आईआईटी, एनआईटी/नीट, एम्स में कुल 10 प्रतिशत चयन होने पर संपूर्ण 20 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा।
- कक्षा 12वीं अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने तथा प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों में से आईआईटी, एनआईटी/नीट, एम्स इत्यादि में कुल 07 प्रतिशत चयन होने पर 15 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा।
- कक्षा 12वीं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम 90 प्रतिशत प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने तथा प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों में से आईआईटी, एनआईटी/नीट, एम्स इत्यादि में कुल 05 प्रतिशत चयन होने पर 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा।


उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर परीक्षा परिणाम न आने की स्थिति में सम्पूर्ण 20 प्रतिशत राशि देय नहीं होगी अर्थात् सम्पूर्ण 20 प्रतिशत कटौती योग्य होगी। राशि के भुगतान के संबंध में अनुबंध में उल्लेखित शर्तों का भी पालन करना होगा।

प्रयास बालक एवं कन्या आवासीय विद्यालय बिलासपुर में 125 सीट (परिवर्तनीय) इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की कोचिंग हेतु निर्धारित है। यह सीट संख्या प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या अनुसार कम हो सकती है। प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार ही गणना कर अनुबंधित राशि का भुगतान किस्तों में किया जायेगा।

11. कोचिंग संस्था का भुगतान :- मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु संशोधित नियमावली वर्ष 2017 द्वारा जारी दिनांक 19.01.2018 में उल्लेख अनुसार तथा प्रकाशित "रूचि की अभिव्यक्ति" में उल्लेखित शर्तों अनुसार होगा।
12. कोरोना वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के संदर्भ में अथवा अन्यथा भी आवश्यकता अनुसार ऑन लाईन प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिये पृथक से किसी प्रकार की कोई राशि देय नहीं होगी।

 10/11/2021

कलेक्टर

 जिला - बिलासपुर

न्यास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय जिला बिलासपुर में अध्यापन कार्य हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से "रुचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण वर्ष 2020-21 हेतु आवेदन पत्र

(रुचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक दिनांकके संदर्भ में)

भाग-एक (प्रथम लिफाफा)

(कोचिंग संस्था के लिए न्यूनतम अर्हता संबंधी अभिलेख)

क्र.	विवरण	संबंधित अभिलेख संलग्न किया जावे
1	कोचिंग करने वाली कोचिंग संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/भारत सरकार अथवा छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कम्पनीज एक्ट 1956/ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट/भारत सरकार अथवा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) के तहत पंजीकृत हो। संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।	
2	संस्था का पेन (PAN) एवं टेन (TAN) नम्बर अनिवार्यतः होना चाहिए। प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए। यदि टेक्स में छूट प्रदान किया गया है तो संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।	
3	(I) कोचिंग संस्था/फर्म का प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग कार्यो का प्रति वर्ष का टर्न ओव्हर 50.00 लाख से कम नहीं होना चाहिए। टर्न ओव्हर में संस्था/फर्म द्वारा संचालित अन्य गतिविधियों/व्यापारिक सक्रिया से प्राप्त आय/संपत्ति को इसमें शामिल न किया जाए। संस्था को प्रमाण स्वरूप विगत 3 वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन (आडिट रिपोर्ट) प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का एक प्रमाण पत्र हो जिसमें विगत तीनों वर्षों के प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कार्यो से संबंधित टर्न ओवर का पृथक-पृथक उल्लेख हो। (II) कोचिंग संस्था/फर्म का प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग कार्यो के व्यवसाय का पिछले तीन वर्षों में जमा किये गये सर्विस टेक्स का विवरण। यदि टेक्स में छूट प्रदान किया गया है तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।	
4	सुरक्षा निधि के रूप में रु. 5.00 लाख का अमानत राशि ऑनलाईन जमा करना होगा।	

(संस्था का सामान्य परिचय-पुष्टि हेतु अभिलेख संलग्न किया जावे)

1. (अ) पंजीकृत कोचिंग संस्था का नाम :
- (ब) कोचिंग संस्था का पूर्ण पता :
- (स) दूरभाष (कोड सहित) :
- (द) कोचिंग संस्था के संचालक का नाम :
- एवं पता / मोबाईल नम्बर

2. कोचिंग संस्था किस समिति / फर्म / कम्पनी के अंतर्गत संचालित है :-

- (अ) समिति / फर्म / कम्पनी का नाम :
- (ब) समिति / फर्म / कम्पनी के कार्यालय :
- का पूर्ण पता :
- (स) दूरभाष (कोड सहित) तथा :
- अधिकृत मोबाईल नम्बर
- (द) फर्म द्वारा किन-किन स्थानों पर :
- कोचिंग संस्थाएं का संचालन किया जा रहा है

3. (अ) समिति / फर्म / कम्पनी किस एक्ट के तहत पंजीकृत है :

(ब) समिति / फर्म / कम्पनी का जीवित पंजीयन क्रमांक :

एवं बायलॉज की प्रमाणित प्रति

(स) समिति / फर्म / कम्पनी का वैद्यता दिनांक :

(द) समिति / फर्म / कम्पनी के गर्वनिंग बॉडी की अंतिम बैठक का दिनांक :

(इ) समिति / फर्म / कम्पनी के अंतिम बैठक की आम सभा का दिनांक :

(प) समिति / फर्म / कम्पनी के गर्वनिंग बॉडी के अध्यक्ष :

4. क्या कोचिंग संस्था फ्रेन्चायजी है? यदि हां तो मूल कोचिंग संस्था का फ्रेन्चायजी अधिकार पत्र अनुबंध आदि अभिलेख प्रस्तुत किया जावे एवं फ्रेन्चायजी संस्था अपना आडिट रिपोर्ट / पैन / टैन प्रस्तुत करेगा।

भाग-दो-04
(योजना क्रियान्वयन की विस्तृत रणनीति)

उसके अंतर्गत निम्नांकित प्रस्तुत की जावे :-

1. अध्यापन की रणनीति (कालखंडों की संख्या, अवधि, पाठ्यक्रम की प्राथमिकता, शैक्षणिक कलेण्डर, इकाई मूल्यांकन, प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी आदि जो आवश्यक हो)।
2. उत्कृष्ट शिक्षण सामग्री की एक प्रति।
3. उत्कृष्ट शिक्षकों को पूरे वर्ष नियोजित करने की योजना।
4. राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप विद्यार्थियों के मूल्यांकन हेतु मल्टीमिडिया की व्यवस्था।

भाग-दो-05
(घोषणा/सहमति पत्र)
संस्था/फर्म/कम्पनी संचालक की घोषणा

मैं पदकोचिंग संस्था की ओर से प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने वर्ष 2020-21 के लिए प्रकाशित रूचि की अभिव्यक्ति अंतर्गत समस्त शर्तों एवं प्रावधानों का अध्ययन कर, समझकर एवं संतुष्ट होकर प्रयास आवासीय विद्यालय बिलासपुर हेतु आवेदन किया है। आवेदन पत्र के 'भाग-एक, भाग-दो (1-5) तथा भाग - तीन में दर्शाई गई जानकारी एवं उनकी पुष्टि हेतु पृथक से संलग्न विस्तृत विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। प्रस्ताव में दी गई जानकारी भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण होने पर प्रस्ताव निरस्त किया जा सकेगा तथा विधिक कार्यवाही हेतु मैं जिम्मेदार रहूंगा।

प्रयास संचालन नियमों में यदि कोई संशोधन होता है तो वह मुझे मान्य होगा। विभाग द्वारा अध्यापन एवं कोचिंग कार्य हेतु कार्यादेश प्राप्त होने की स्थिति में विभागीय निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किया जाएगा एवं अनुबंध की शर्तों का पालन किया जाएगा।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर/मोहर
सहित

प्रयास आवासीय विद्यालय जिला - बिलासपुर में अध्यापन कार्य हेतु फेकल्टी की व्यवस्था के लिए पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से "रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण वर्ष 2020-21

(रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक 21/59 दिनांक 18/11/20 के संदर्भ में)

वित्तीय प्रस्ताव - भाग-तीन

क्र.	कार्य का नाम	दर प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह (समस्त कर जीएसटी सहित) अंको में एवं शब्दों में दर्शाया जाए
1.	कक्षा 11वीं एवं 12वीं के वार्षिक/बोर्ड परीक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अध्यापन सह कोचिंग, 02 वर्ष (2020-21 कक्षा 11वीं तथा 2021-22 कक्षा 12वीं अधिकतम 30 जून 2022 तक	

उपरोक्त दर समस्त कर जीएसटी सहित है एवं इस दर पर मैं कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

(पदमुद्रा सहित)

टीप :-

1. यह वित्तीय प्रस्ताव पृथक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जावे।
2. कोई भी कांट-छांट स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा कांट-छांट होने पर प्रस्ताव निरस्त किया जाएगा।
3. शिक्षण सत्र 2020-21 हेतु प्रयास आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों को अध्यापन एवं कोचिंग कराये गये माहों के आधार पर ही प्रति विद्यार्थी राशि देय होगी।